कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 589 /XXV– 12(P–7)/2008 दिनांक 15 फरवरी, 2019.

सेवा में,

श्री अरविन्द पंवार
पुत्र श्री टी0एस0पंवार, माणाधार, रूद्रप्रयाग
जिला–रूद्रप्रयाग।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या–2020/रा.नि.आ.–1/2569/2019 दिनांक 12 फरवरी, 2019 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न विवरणानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या–01	सामान्य निर्वाचन कार्यो में उपयोग में लाये जाने वाले यानों/वाहनों के भाड़े की दरों संबंधी पत्र संख्या– 1447 दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 कुल 05 पृष्ठ संलग्न प्रेषित है।
बिन्दु संख्या–02,03 एवं 04	समस्त लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

संलग्न–यथोपरि 05 पृष्ठ।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

B.S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 589 / XXV–12(P-7)/2008, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड को उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 04–02–2019 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या–02 से 04 तक में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तानुसार।

B.S. Rawat

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

(1)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1447 / XXV /2016 देहरादून : दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

समस्त जिला अधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड ।

विषयः– **सामान्य निर्वाचन कार्यो में उपयोग मे लाये जाने वाले यानों/वाहनों के भाडे की दरो के पुनरीक्षण/ पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको सचिव,उत्तरारखण्ड शासन,परिवहन अनुभाग–1, देहरादून के पत्र संख्या 1229/**IX-1-165/2016,** दिनांक 30.11.2016 की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 के सम्पादनार्थ प्रयुक्त किये जाने वाले वाहनो का किराये भाड़े का भुगतान उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा पुनरीक्षित/ पुनर्निर्धारित दरों के आधार पर समय से करना सुनिश्चित करें । इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग के साथ–2 सभी सम्बन्धितों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या **XXV- /2016 तद दिनांकित**

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक,उत्ततराखण्ड,देहरादून को सचिव,उत्तरारखण्ड शासन,परिवहन अनुभाग–1, देहरादून के पत्र संख्या 1229/**IX-1-165/2016,** दिनांक 30.11.2016 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक–यथोपरि

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

2

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 788/XXVVI(1)/2016 दिनांक 28.11.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
सचिव।

संख्या /IX-1/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।

(3)

संख्या 1223 / IX-1-65 / 2016

प्रेषक,

चन्द्र सिंह नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
परिवहन,उत्तराखण्ड,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर, 2016

विषय– सामान्य निर्वाचन कार्यों में उपयोग में लाये जाने वाले यानों के भाड़े की दरों में पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक् शासनादेश संख्या 41/पी0एस0/परि0/2002 दिनॉक 28.02.2002 एवं अपने कार्यालय पत्र संख्या 329/टी0आर0/निर्वाचन/आठ–6/2016 दिनांक 18 अक्टूबर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 201/IX/76/2009 दिनॉक 27 मई, 2009 द्वारा सामान्य निर्वाचन, 2009 हेतु अधिग्रहीत एवं प्रयुक्त होने वाले वाहनों के भाड़े की दरों को संशोधित करते हुए, आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2017 में अधिग्रहीत कर प्रयोग लाये जाने वाले वाहनों हेतु वाहन भाड़े की दरों को निम्नवत् निर्धारित/पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्रम सं0	वाहन का प्रकार/श्रेणी	भाड़े की पूर्व दर (रू0)	नवीन पुनरीक्षित दर (रू0)
	यात्री वाहन		
क	(क) टैक्सी/जीप (06 सीट)	468 तथा तेल व ईधन	562.00 तथा तेल व ईधन
ख	टैक्सी वैन	554 –तदैव–	665.00 तथा तेल व ईधन
ग	10 सीटर कमाण्डर जीप	647 –तदैव–	776.00 तथा तेल व ईधन
घ	(ग) मिनी बस 12 से अधिक व 24 सीटर	815 –तदैव–	978.00 तथा तेल व ईधन
ड़	25 से 34 सीटर	920 –तदैव–	1104.00 तथा तेल व ईधन
च	35 से 40 सीटर	1028 –तदैव–	1234.00 तथा तेल व ईधन
छ	41 से 45 सीटर	1064 –तदैव–	1277.00 तथा तेल व ईधन
ज	46 सीटर या उससे अधिक	1204 –तदैव–	1445.00 तथा तेल व ईधन
	भार वाहन (सकल यान भार)		
क	40 कुन्टल से कम पे–लोड वाली	773 –तदैव–	928.00 तथा तेल व ईधन
ख	40 कुन्टल से अधिक परन्तु 60 कुन्टल से कम	938 –तदैव–	1126.00 तथा तेल व ईधन
ग	60 कुन्टल से अधिक परन्तु 75 कुन्टल से कम	998 –तदैव–	1198.00 तथा तेल व ईधन
घ	75 कुन्टल से अधिक	1158 –तदैव–	1390.00 तथा तेल व ईधन

2– शासनादेश संख्या–41/पी0एसव/परि0/2002 दिनांक 28.02.2002 की अन्य शर्ते यथावत रहेंगी।

क्रमशः पृष्ठ दो पर

3 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 788/XXVVI(1)/2016 दिनांक 28.11.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
सचिव।

संख्या /IX-1/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3- समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
5- वित्त अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।

(5)

सेवा में,

अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तरांचल, देहरादून।

महोदय,

आपके पत्र संख्या- 434/रा0नि0प्र0/2001 दिनांक 26-9-01 के संदर्भ में वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

गाड़ी का नाम	पक्की सड़कों पर	कच्ची सड़कों पर	पहाड़ी मार्गों पर
1- बस - 42सीटर	4.30	3.50	2.75
12-25सीटर	8.00	7.00	6.00
कमाण्डर/जीप/सूमो आदि	12.00	10.00	8.00
2- ट्रक बड़ा	4.30	3.50	2.75
407/608	8.00	7.00	6.00
3- हल्का वाहन			
टैक्सी एम्बेसडर	12.00	10.00	8.00डीजल
	8.00	6.00	6.00पैट्रोल
टैक्सी जीप	12.00	10.00	8.00डीजल
मारुति वैन	12.00	10.00	8.00पैट्रोल

भवदीय,

(आर0के0वर्मा)
संभागीय निरीक्षक (प्रा0वि0)
देहरादून/कोटद्वार।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 589 /XXV– 12(P–7)/2008 दिनांक 15 फरवरी, 2019.

सेवा में,

श्री अरविन्द पंवार
पुत्र श्री टी0एस0पंवार, माणाधार, रूद्रप्रयाग
जिला–रूद्रप्रयाग।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी/अनुसचिव कार्यालय, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या–2020/रा.नि.आ.–1/2569/2019 दिनांक 12 फरवरी, 2019 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना निम्न विवरणानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु संख्या–01	सामान्य निर्वाचन कार्यो में उपयोग में लाये जाने वाले यानों/वाहनों के भाड़े की दरों संबंधी पत्र संख्या– 1447 दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 कुल 05 पृष्ठ संलग्न प्रेषित है।
बिन्दु संख्या–02,03 एवं 04	समस्त लोक सूचना अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित किया जा रहा है।

संलग्न–यथोपरि 05 पृष्ठ।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 589 / XXV–12(P-7)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त लोक सूचना अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, उत्तराखण्ड को उक्त अनुरोध पत्र दिनांक 04–02–2019 की छाया प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या–02 से 04 तक में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तानुसार।

B.S. Rawat
(बी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019

Recived
12/2/019

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

पत्रांक : 2020 / रा.नि.आ.-1/2569/2019

दिनांक 12/2/2019

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

सेवा में,

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर,
देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री अरविन्द पंवार पुत्र श्री टी0एस0 पंवार, माणाधार, रूद्रप्रयाग, जनपद–रूद्रप्रयाग का सूचना का अनुरोध–पत्र दिनांक 04.02.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 11.02.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना अनुरोध–पत्र की छायाप्रति संलग्नक सहित संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना जो आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

12/2/19

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820707

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2569/2019 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री अरविन्द पंवार पुत्र श्री टी0एस0 पंवार, माणाधार, रूद्रप्रयाग, जनपद–रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ARO I(K)

12-2-2019
S.O/PIO

(बी0पी0कोठारी)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

797
11|2|19

(2569)

सेवा में,

श्रीमान सूचना अधिकारी
कार्यालय निर्वाचन आयुक्त
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय :- "सूचना के अधिकार अधिनियम 2005" के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में,

महोदय,

निवेदन इस प्रकार से है कि प्रार्थी चुनाव ड्यूटियों में प्रयुक्त/अधिकृत व्यावसायिक वाहनों (टैक्सी व मैक्सी) के सम्बन्ध में सूचना चाहता है,

श्री नयाल
11/2/19

(1) चुनाव ड्यूटी में प्रयुक्त/अधिकृत व्या० वाहनों (टैक्सी व मैक्सी) का निर्धारित दैनिक किराया (डीजल/पेट्रोल) व औसत किमी०/

पी. कोठारी
उप सचिव
निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

(2) चुनाव ड्यूटी में प्रयुक्त/अधिकृत वाहन के चालक को ड्यूटी में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की भाँति सुविधायें देय हैं या नहीं?

(3) चुनाव ड्यूटी के दौरान यदि वाहन के साथ कोई भी दुर्घटना होने की स्थिति में वाहन के क्लेम व दुर्घटना में चालक की मृत्यु (किसी भी दशा में) व अपंगता की दशा में अन्य सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारियों की भाँति सुविधा का प्रावधान है या नहीं? स्पष्ट करें

(4) विधान सभा चुनाव-2017 में प्रयुक्त वाहनों का दैनिक किराया अभी तक नहीं मिला है, विलम्ब का कारण बतायें व कब तक मिलेगा स्थिति स्पष्ट करें,

Received Rs 10/-
11-2-19

दिनांक - 04/02/19
स्थान - रूद्रप्रयाग

धन्यवाद
प्रार्थी
अरविन्द पंवार S/O श्री [illegible]
भणाधार, रूद्रप्रयाग
जनपद - रूद्रप्रयाग